



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112025-267378
CG-DL-E-04112025-267378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4819]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/कार्तिक 12, 1947

No. 4819]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/KARTIKA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2025

का.आ. 4974(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की आंध्रप्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी. से. 55.900 कि.मी तक के भूखण्ड (मदनपल्ली से पिलेरु सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चारलेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलेक्टर, अन्नमयया को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और.

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 के 0.000 कि.मी.से 55.900 कि.मी.तक (मदनपल्ली से पिलेरु खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अन्नमयया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मदनपल्ली					
गांव का नाम: वेंकप्पाकोटा					
1	7/1A1	निजी (पट्टा)	झाय	40.47 (वर्ग मीटर)	0.004047
2	7/1B2	निजी (पट्टा)	झाय	202.347 (वर्ग मीटर)	0.0202347
3	7/1C2	निजी (पट्टा)	झाय	1335.49 (वर्ग मीटर)	0.133549
गांव का नाम: बंदमीदा कम्मापल्ले					
4	447/1C	निजी (पट्टा)	झाय	323.755 (वर्ग मीटर)	0.0323755
Total					0.1902062

[फा. सं. 070MP-04/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2025

S.O. 4974(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No 71 in the stretch of land from Km 0.000 to Km 55.900 (Madanapalli to Piler Section) in the district of Annamayya in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Joint Collector, Annamayya in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 55+900 (Madanapalli - Piler Section) of the National Highway No. 71 in the District of Annamayya in the State of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Madanapalle					
Village: Venkappakota					
1	7/1A1	Private (Patta)	Dry	40.47 (Square Meter)	0.004047
2	7/1B2	Private (Patta)	Dry	202.347 (Square Meter)	0.0202347
3	7/1C2	Private (Patta)	Dry	1335.49 (Square Meter)	0.133549
Village: Bandameeda Kammappalle					
4	447/1C	Private (Patta)	Dry	323.755 (Square Meter)	0.0323755
Total					0.1902062

[F. No. 070MP-04/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director